

प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं
सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य के अंतर्गत।

यादी क्रमांक: 9/1-2015 Acd. (2)

दिनांक, पंचकूला: 02-09-2015

विषय:- सार्वजनिक सभाओं व समारोहों में विद्यार्थियों के भाग न लेने बारे दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में।

प्रायः देखने में आया है कि विभिन्न प्रकार की सभाओं व समारोहों में विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। निश्चित तौर पर यह स्थानीय स्तर पर इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के निर्देशों के पालन स्वरूप होता है। यह भी देखने में आया है कि इस कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई के नुकसान के साथ-साथ अनावश्यक परेशानी को भी झेलना पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त अन्य किसी सभा व समारोह में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए न भेजा जाए। हालांकि विद्यालय के अपने कार्यक्रम में विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

(वीरेन्द्र सिंह सहरावत)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,

पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक:- सम

दिनांक, पंचकूला:- 02-09-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, मुख्य सचिव महोदय, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. निजी सहायक, प्रधान सचिव महोदय, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

(वीरेन्द्र सिंह सहरावत)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,

पंचकूला